न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-10RAAJodhpur2024-03RTA223 Kheevsingh Vs Sagat singh etc

खीवसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी–ग्राम बालेसर सता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. सगत सिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह,
02. जेठुसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह,
03. जबरसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह,
04. जसवन्त सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह,
05. अनोपसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह,
06. ओम कंवर पुत्री श्री मोतीसिंह,
07. झमूकंवर पत्नी मोतीसिंह,
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगणः–ग्राम बालेसर सता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
08. ग्राम पंचायत बालेसर सता, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 105/2015 सगतसिंह व अन्य बनाम जसवंत सिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता– रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 09

नि र्ण य

दिनांक : 10 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 105/2015 सगतसिंह व अन्य बनाम जसवंत इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 न अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेघाज्ञा हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बालेसर सता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 753 रकबा 19.04 बीघा तथा ग्राम हिम्मतनगर में स्थित खसरा संख्या 2020 रकबा 31.07 बीघा, खसरा संख्या 2022 रकबा 6.12 बीघा, खसरा संख्या 2332 रकबा 4. 13 बीघा, खसरा संख्या 2333 रकबा 10.11 बीघा एवं ग्राम जीवराजसिंहनगर में स्थित खसरा संख्या 2477 रकबा 14.05 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 5 सहखातेदार है जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा है, जो हिस्से पुश्तैनी है। मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है लेकिन संयुक्त रूप से अब काश्त करना सम्भव नही है, इसलिए उक्त वाद बंटवाड़े हेतु प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2020 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से बाई–मिटस् एवं बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2023 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तामिल सम्यक रूप से नही करवाते हुए तथा नोटिस अपीलार्थी पर तामिल नही होने के बावजूद भाई से तामिल माना है जबकि भाई व उसका परिवार अलग निवास करता है, इसलिये विधि अनुसार तामिल नही मानी जा सकती है, जिससे साबित होता है कि अपीलार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही विधि विरूद्व अमल में लाई गई है जो कार्यवाही विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपना वाद साबित ही नही किया गया है न ही वाद में विवाद बिन्दु कायम किया गया है जिसका निस्तारण किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिना ही आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि विवादित बिन्दु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने के कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सके जिसं कारण भी आलौच्य निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है तथा मौके पर जाकर तैयार नही किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा सड़क के हिस्से की किमती भूमि को अपने पक्ष में रख लिया है तथा अपीलार्थी को सड़क से दूर हिस्सा दिया गया है जो बाजार मूल्य के अनुसार नही है तथा नियमानुसार नही है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बिना तामिल के ही निर्णय व डिक्री पारित की है। वर्तमान में पटवारी हल्का से नकलें प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि खसरान् में बंटवाडा हो चुका है, जिस पर न्यायालय में नकल हेतु दिनांक 05.01.2024 को आवेदन करवाया गया जो नकल तैयार होकर दिनांक 08.01.2024 को मिली, जिसकी सूचना अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.01.2024 को अपीलार्थी को दी गई, जहां नकल पढने पर प्रथम बार दिनांक 08.01.2024 को आलौच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, जिस पर रूपयों–पैसों की व्यवस्था कर दिनांक 09.01.2024 को जोधपुर आया तथा जानकारी से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा किसी अनुचित लाभ हेतु देरी से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को न्याय हित में माफ करते हुए अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 49/2023 अनवान अमराराम बनाम आसुदेवी में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2024 की प्रति पेश पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवायी गई है। अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील होने पर वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.05.2017 से होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उस रोज आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये जो आदेशिका पर मौजूद है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलांट पर सम्मन की तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट के भाईयों की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा पक्षकारान् को भूमि उनके कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अपीलांट के आवागमन हेतु रास्ते के लिए पास में ही सरकारी भूमि उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बालेसर से प्राप्त विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा आलौच्य अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में बनावटी एवं मनगढंत कथन किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तत आलौच्य अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या 33 के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया जाना पाया जाता है। सभी पक्षकारान् को समानांतर रूप में आनुपातिक जमीन दी गई है, जिससे किसी पक्षकार के आवागमन में समस्या न हो।

अपीलांट्स का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव नियमों के तहत तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में विभाजन प्रस्ताव के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार बालेसर की मुहर मय हस्ताक्षर मौजूद है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई उज्र एतराज प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील नहीं करवायी गई। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 23.05.2017 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा तामील के संबंध में उठाया गया उज्र मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलांट को शुरूआत से ही रहना स्वाभाविक है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर सद्भाविक एवं संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है, जिससे विलंब को क्षमा किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट काल वर्जित पायी जाती है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 105/2015 सगतसिंह व अन्य बनाम जसवंत इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-10RAAJodhpur2024-03RTA223 Kheevsingh Vs Sagatsingh etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
खीवसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी–ग्राम बालेसर सता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।	ब ना म	01. सगत सिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह, 02. जेठुसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह, 03. जबरसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह, 04. जसवन्त सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, 05. अनोपसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, 06. ओम कंवर पुत्री श्री मोतीसिंह, 07. झमूकंवर पत्नी मोतीसिंह, सभी जातियान् राजपूत, निवासीगणः–ग्रा बालेसर सता, तहसील बालेसर, जिव जोधपुर। 08. ग्राम पंचायत बालेसर सता, पंचायत समि बालेसर, जिला जोधपुर। 09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जूलाई 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 105/2015 सगतसिंह व अन्य बनाम जसवंतसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 10 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 105/2015 अनवान सगतसिंह व अन्य बनाम जसवंतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ———00———) रूपये ————————00———————— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——————00———————— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर